राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या –2160/2008/दौसा

सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी,
वार्ड–I, दौसा
.....अपीलार्थी

बनाम

ओम प्रकाश देवकीनन्दन,
कागारौल, आगरा(यू.पी)
.....प्रत्यर्थी.

एकलपीठ
खेमराज, अध्यक्ष

उपस्थित : :

श्री रामकरण सिंह
उप राजकीय अभिभाषक। .....अपीलार्थी की ओर से

श्री जतिन हरजाई
अधिकृत अभिभाषक .....प्रत्यर्थी की ओर से

दिनांक :– 05.04.2017

निर्णय

1. अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील उपायुक्त (अपील्स) प्रथम, वाणिज्यिक कर, जयपुर (जिसे आगे **"अपीलीय अधिकारी"** कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 153 / आरएसटी / एनआरडी / 07–08 में पारित आदेश दिनांक 29.01.2008 के विरूद्ध पेश की गयी है जिसके द्वारा उन्होंने सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत–दौसा (जिसे आगे **"सशक्त अधिकारी"** कहा जायेगा) द्वारा पारित आदेश दिनांक 26.12.2007 के अन्तर्गत राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **"अधिनियम"** कहा जायेगा) की धारा 76(2)(बी) व 76(6) के अन्तर्गत आरोपित कर व शास्ति को अपास्त किया गया है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि सशक्त अधिकारी द्वारा दिनांक 14.12.2007 को वाहन संख्या UP-80L/9015 जिसमें सरसों तेल भरा हुआ था, को चैक किया गया। उक्त प्रशान्त बल्क केरियर, खेरागढ़, आगरा की बिल्टी संख्या 132 दिनांक 04.12.2007 के द्वारा मैसर्स नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया के प्रफोर्मा सेल इनवाइस संख्या 187779 दिनांक 04.12.2007 के जरिये मैसर्स अरावली ट्रेडिंग कम्पनी मेडता सिटी से मैसर्स कुशाल एग्रो आयल लिमिटेड, मुरेना म.प्र. के लिये परिवहनित किया जा रहा था। वाहन चालक/माल प्रभारी द्वारा बताया गया कि दिनांक 04.12.2007 को रात्रि 10–11 बजे तेल लोड करके लाया है। सड़क मार्ग मेडता रोड से अजमेर दूदू चाकसू से होते हुये आना बताया व रास्ते में टोल टैक्स भी किशनगढ़ व दूदू पर चुकाया गया। दूदू कस्बे में टैंकर खराब हो जाने के कारण ठीक करवाने में समय लग गया। इसलिये वह दिनांक 13.12.2007 को दूदू से रवाना होकर लालसोट पहुंचा, जहां वाहन को चैक किया गया। माल के साथ क्रेता फर्म के मुनीम द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। वाहन चालक व मुनीम के बयानों में विरोधाभास होने के कारण सन्देह के आधार पर नोटिस दिया गया। नोटिस की पालना में जवाब प्रस्तुत किया गया। प्रस्तुत जवाब को अस्वीकार करते हुये सशक्त अधिकारी द्वारा पुनः नोटिस 26.12.2007 को जारी किया गया। नोटिस की पालना में लिखित जवाब व दस्तावेज प्रस्तुत किये गये। सशक्त अधिकारी द्वारा इसे कर चोरी होना मानते हुये माल की कीमत रुपये 7,82,535/– पर अधिनियम की धारा 76(6) के तहत शास्ति 2,34,760/– व कर

लगातार.....2

रू0 31,301/– अपने आदेश दिनांक 26.12.2007 द्वारा आरोपित किया। सशक्त अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, प्रत्यर्थी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील पेश करने पर, अपीलीय अधिकारी ने आदेश दिनांक 29.01.2008 द्वारा आरोपित मांग को को अपास्त कर दिया। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश के विरूद्ध, अपीलार्थी–विभाग द्वारा यह अपील पेश की गई है।

3. अपीलार्थी–विभाग के विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता ने अपने तर्कों में यह कहा है कि अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश विधि विरूद्ध है एवं सशक्त अधिकारी द्वारा पारित आदेश का समर्थन करते हुए, उन्होंने विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार करने का निवेदन किया।

4. प्रत्यर्थी व्यवहारी के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि प्रत्यर्थी द्वारा सरसों का तेल वाहन में नेशनल एग्रीकल्चर कॉआपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, मेडता सिटी जो कि भारत सरकार का उपक्रम है, से दिनांक 04.12.2007 को भरा था, जो मैसर्स कोशल एग्रो आयॅल्स प्रा.लि.,म.प्र. खाली किया जाना था। वक्त जांच वांछित दस्तावेंज वाहन चालक द्वारा सशक्त अधिकारी को प्रस्तुत कर दिये गये थे। इस कारण धारा 76(6) के प्रावधान लागू नहीं होते है। सशक्त अधिकारी द्वारा बिना किसी ठोस कार्यवाही के, बिना किसी आधार के दस्तावेजों को बोगस व मिथ्या प्रमाणित किया गया, साथ ही धारा 76(6) कर कार्यवाही की गई। प्रस्तुत दस्तावेजों में प्रेषक व प्रेषिति के पूर्ण पते एवं पंजीयन क्रमांक मौजूद थे, उसके बावजूद भी सशक्त अधिकारी द्वारा उनकी कोई जांच नहीं की एवं बिना किसी उचित आधार के शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई है। व्यवहारी द्वारा जांच रिपोर्ट की प्रति मांगी गई वह भी व्यवहारी को उपलब्ध नहीं करवाई गई, एवं बिना सुनवाई व उचित अवसर दिये बिना कर व शास्ति आरोपण की कार्यवाही की गई। व्यवहारी द्वारा नोटिस की पालना में वाहन को ठीक करवाने बाबत समस्त मूल बिल, वाऊचर, मीमो प्रस्तुत किये गये, जिसे सशक्त अधिकारी ने अमान्य कर दिया। सशक्त अधिकारी को नोटिस की पालना में प्रस्तुत जवाब से अवगत कराने के उपरान्त भी सशक्त अधिकारी द्वारा व्यवहारी को पुनः स्पेसिफिक नोटिस जारी किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा दस्तावेज में पंजीयन क्रमांक अंकित नहीं होने के कारण फार्म वेट–49 पंच नहीं होने एवं माल वजन में अंतर होने का स्पष्टीकरण चाहा। जिसका जवाब भी दे दिया गया था। सशक्त अधिकारी द्वारा जांच कार्यवाही की गई व माल क्रेता प्रेषिति पंजीकृत पाया गया। उन्होंने आगे कथन किया कि जहां तक फार्म वेट–49 के पंच करने का है, उसकी जानकारी व्यवहारी चूंकि हस्ताक्षर करना जानता है, इस कारण से प्रत्यर्थी को नहीं थी। वैसे भी फार्म–49 माल प्रेषिति द्वारा पूर्ण रुप से भरा गया था जिसके लिये माल प्रेषिति जिम्मेदार है न कि व्यवहारी। व्यवहारी द्वारा माल का पुनः वजन कराने के कथन पर भी सशक्त अधिकारी द्वारा माल का पुनः वजन नहीं किया गया। माल क्रेता व्यवसायी का पत्र दिनांक 17.12.2007 व माल क्रेता धारा 76(7) के तहत प्रस्तुत आवेदन पत्र नेफेड का डिलीवरी आर्डर दिनांक 03.12.2007 की ओर ध्यान आकर्षित करते हुये अभिकथनों के आधार पर आरोपित कर व शास्ति अविधिक है। उनका निवेदन था कि विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावे।

लगातार.....3

5. उभयपक्षीय बहस सुनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड अवलोकन किया गया। रेकार्ड के अवलोकन से स्पष्ट है कि पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजों के अनुसार परिवहनित माल मैसर्स नेशनल एग्रीकल्चर को ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया से मैसर्स कुशाल एग्रो आयल लिमिटेड, मुरेना म.प्र. के लिये परिवहनित किया जा रहा था। माल के साथ वांछित बिल व बिल्टी मौजूद था। इस प्रकार धारा 76(2)(बी) के प्रावधानों की पूर्ति हो जाती है। माल के साथ संलग्न बिल में प्रेषक व प्रेषिति के नाम व पते अंकित थे, जिनके यहां जांच करने के बजाय वाहन चालक पर शास्ति आरोपण की गई। सशक्त अधिकारी द्वारा माल प्रेषक व प्रेषिति को कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। धारा 76(7) के तहत माल क्रेता मैसर्स कौशल एग्रो प्राइवेट लिमिटेड मुरैना दिनांक 18.12.2007 को पक्षकार बनाये जाने एवं वांछित कार्यवाही विरुद्ध किये जाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा प्रार्थना पत्र पर कोई विचार नहीं किया गया व वाहन चालक को माल का मालिक मानते हुये शास्ति का आरोपण किया गया। सशक्त अधिकारी द्वारा माल प्रेषक मैसर्स नेशनल एग्रीकल्चर कॉ–ऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड, से जांच कार्यवाही की गई है। इस प्रकार सशक्त अधिकारी ने बिना यह प्रमाणित किये कि प्रत्यर्थी का कर चोरी का दोषी मनोभाव था, प्रत्यर्थी पर कर व शास्ति आरोपित की गई जो अविधिक है। अपीलीय अधिकारी ने गहन अध्ययन करने के पश्चात आरोपित मांग को अपास्त करने में कोई विधिक भूल नहीं की है। अतः अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

6. फलतः अपीलार्थी–विभाग द्वारा प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जाती है तथा अपीलीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 29.01.2008 की पुष्टि की जाती है।

निर्णय सुनाया गया।

(खेमराज)
अध्यक्ष